



बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आम सूचना

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत वर्तमान में माह जून, 2025 एवं माह जुलाई, 2025 का खाद्यान्न वितरण एक साथ प्रभावी है।
- माह जून, 2025 का खाद्यान्न वितरण दिनांक 22.05.2025 से एवं माह जुलाई, 2025 का खाद्यान्न वितरण दिनांक 01.06.2025 से प्रभावी है।
- लाभुक अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास प्रथम बार में ई-पॉस के माध्यम से अपना बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत माह जून, 2025 का खाद्यान्न प्राप्त करेंगे एवं द्वितीय बार में ई-पॉस के माध्यम से अपना बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत माह जुलाई, 2025 का खाद्यान्न प्राप्त करेंगे।

प्रधान सचिव